रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 283] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 27, 1974/आषाढ़ 6, 1896

No. 283] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 1974/ASADHA 6, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

ORDER

New Delhi, the 27th June 1974

S.O. 391(E).—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi School Education Act, 1973, (18 of 1973), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Delhi School Education (Removal of difficulties) Order No. 2.

(2) It shall come into force on the 1st day of July, 1974.

2. For a period of one hundred and twenty days from the date of the commencement of this Order, the procedure followed immediately before such commencement with regard to payment of pay and allowances, pension and gratuity, re-imbursement of medical bills, accounting of provident fund and payment of other allowances shall be followed.

[No. F.44-1/73-UT-1]

S. M. S. CHANI,
Joint Educational Adviser.

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1974

का० आ० 391 (अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को दिल्ली विद्यालय शिक्षा (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश संख्या 2 कहा जाए ।

(2) यह जुलाई, 1974 के पहले दिन से लागू होगा ।

2. इस आदेश के लागू होने के एक सौ बीस दिन की अवधि के लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व, वेतन और भत्तों, पेन्शन और उपदान, चिकित्सीय बिलों की प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि का लेखा और अन्य भत्तों के दिए जाने के बारे में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

[सं० एफ 44-1/73 यू० टी०-1]

एस० एम० एस० चारी,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974